<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103004012016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—576 / 2016</u> संस्थापित दिनांक—14.12.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

तिरुद्ध

01-हरिओम पुत्र हीरालाल अहिरवार आयु 32 वर्ष

02-सोहन पुत्र किशोरी अहिरवार आयु 41 वर्ष निवासीगण
नईवस्ती, चंदेरी जिला अशोकनगर

अारोपीगण

राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u>ः— <u>(आज दिनांक 13.09.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323,504,324 / 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 323,504 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी हुकुमिसह ने दिनांक 01.12.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 11.10.16 को 16:00 बजे नईवस्ती फतेहावाद चंदेरी में वह झांकी में ढोल बजाने गया था तब आरोपीगण आए और उसे गालिया देने लगे तथा लात घूंसों से मारपीट करने लगे जिससे उसे चोटें आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 563/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 323,504,324 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 323,324,504 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 11.10.16 को 14:00 बजे नईवस्ती फतेहावाद में फिरयादी को नुकीले हथियार से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 हुकुमसिह की मौखिक

साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

- 08— अभियोजन साक्षी 01 हुकुमिसह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसके साथ वादिववाद किया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी01 उसने लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने नुकीले हिथयार से उसे मारा था जिससे चोट आई थी।अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है अभियोजन यह प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ नुकीले चीज से मारपीट कर उपहित कारित की गई।
- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादिव की धारा 323,324,504 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

4

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)